न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 164/2021

लाल चंद पुत्र श्री रणजीतराम जाति नायक निवासी – वार्ड नं. 45 नया वार्ड 57, गली नं.8,गुरूनानक बस्ती, शुगर मिल के पास, श्रीगंगानगर (राज0)

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1.	श्री राजकुमार नायक	– – प्रार्थी स्वयं
2.	पैरोकार राज	– – अप्रार्थी 1

– :: निर्णय ::– दिनांक :–10.01.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से वाके चक 5 डी बड़ी, पटवार हल्का दुल्लापुरकेरी, भू अभिलेख निरीक्षक शिवपुर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/85 का मुरब्बा नं. 19 की कुल तादादी 5.517 हैक्टेयर नहरी रकबा में वादी का हिस्सा 239/5517 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मुताबिक जमाबंदी 2073 –2076 दर्ज है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है। वादी का नाम लाल चंद है । वादी के नाम से भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड बने हुए है। जिसमें भी वादी का नाम लाल चंद है। नकल फोटो प्रति, वोटर कार्ड, आधार कार्ड सलग्न वाद पत्र है । वादी का नाम लाल चंद है लेकिन वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में लाल सिंह पुत्र रणजीतराम दर्ज हो गया है। वादी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में नाम लाल चंद है तथा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लाल सिंह है जमाबंदी व पहचान के दस्तावेजों में नाम अलग–अलग होने के कारण मिलान नही होने के कारण वादी भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का वादी लाभ नही उठा पा रहा है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को कई बार नाम दुरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन दिनांक 28.07.2021 को प्रतिवादी द्वारा वादी को यह हिदायत दी गई कि आप न्यायालय से दुरूस्ती आदेश लेकर आओ । यही वाद कारण है। वाद पत्र श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार का है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। लिहाजा दावा, वादी पेश करके अर्ज है कि फरमाया जावे।

(क) वादी का नाम वाके चक 5 डी बड़ी, पटवार हल्का दुल्लापुर केरी, भू अभिलेख निरीक्षक शिवपुर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/85 का मुरब्बा नं. 19 की कुल तादादी 5.517 हैक्टेयर नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में लाल सिंह की जगह लाल चंद दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जवाब पेश किया गया। भू.अभिलेख निरीक्षक एवम् पटवारी हल्का दुल्लापुरकेरी की रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम लाल सिंह के स्थान पर लाल चंद किये जाने की अनुसंशा की गई है।

—:: आदेश ::—

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत 5 डी बडी(दुल्लापुरकेरी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का दुल्लापुरकेरी, तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट, शपथ पत्र बाबत सहमति रामा देवी पुत्री श्री रणजीताराम पत्नी श्री रामचन्द्र, शपथ पत्र बाबत सहमति राम लाल पुत्र श्री रणजीताराम जाति नायक, शपथ पत्र बाबत सहमति मोहन लाल पुत्र श्री रणजीताराम, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी दुल्लापुरकेरी दिनांक 04.08.2021, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद दिनांक 30.09.2012 की प्रतिलिपि, प्रार्थी का आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, प्रार्थी का राशन कार्ड का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त जवाब एवम् भू.अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का दुल्लापुरकेरी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर वादी का नाम वाके चक 5 डी बड़ी, पटवार हल्का दुल्लापुर केरी, भू अभिलेख निरीक्षक शिवपुर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/85 का मुरब्बा नं. 19 की कुल तादादी 5.517 हैक्टेयर नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर लाल सिंह के स्थान पर लाल चंद किए जाने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधिकारी (राजस्व) ...गानगर (राज.)

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner